

भारत में न्यायिक नियुक्तियों संबंधी कॉलेजियम प्रणाली

कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई।

कॉलेजियम प्रणाली

☞ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) से संबंधित भारत की न्यायिक प्रणाली।

यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (विशेषकर तीन न्यायाधीशों के मामलों) से विकसित है, जिसका संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):

इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।

इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।

दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।

तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):

राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एवं अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से किये जाने का उल्लेख।
- **अनुच्छेद 217:** CJI, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख।
- **तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127):** यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो CJI (राष्ट्रपति की सहमति से) द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में आमंत्रित किया जा सकता है।
- **कार्यवाहक CJI (अनुच्छेद 126):** रिक्ति/अनुपस्थिति की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस हेतु नियुक्त किये जाने का उल्लेख।
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128):** CJI, राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से निर्दिष्ट अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क

- ☞ शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) को बनाए रखने के क्रम में कार्यपालिका और विधायिका से न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रखने में सहायक।
- ☞ वरिष्ठ न्यायाधीश संभावित न्यायाधीशों की विधिक कुशलता एवं निष्ठा का आकलन करने में सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं; इससे नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का जोखिम कम हो जाता है।

विपक्ष में तर्क

- ☞ बिना किसी पारदर्शिता के गोपनीयता से कार्य करने के कारण भाई-भतीजावाद एवं पक्षपात (अंकल जज सिंड्रोम) को बढ़ावा मिलता है।
- ☞ शक्तियाँ कुछ न्यायाधीशों में केंद्रित रहती हैं। उच्च न्यायालय के 79% न्यायाधीश (वर्ष 2018-2022) उच्च जातियों से संबंधित हैं और इसमें हाशिये पर स्थित समुदायों/महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है।
 - ❖ उच्च न्यायालयों में 331 न्यायिक रिक्तियों (वर्ष 2024) से नियुक्तियों में विलंब पर प्रकाश पड़ता है।
- ☞ कॉलेजियम को प्रतिस्थापित करने के क्रम में प्रस्तावित NJAC (99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014) को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था।

भारत में जमानत की शर्तें

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नकदी रहित जमानत वाले क्षेत्रों को संघीय धनराशि में कटौती करने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये, जिससे भारत में जमानत संबंधी सुधारों पर बहस शुरू हो गई।

❖ नकदी रहित जमानत मामलों के लिये बिना किसी मौद्रिक जमा के रिहाई की अनुमति देती है, जबकि पारंपरिक जमानत के लिये नकदी या संपत्ति की जमानत की आवश्यकता होती है।

भारत में जमानत की शर्तें

❖ **भारत में जमानत:** निर्दोषता की धारणा के आधार पर, मुकदमे से पहले अभियुक्त की सशर्त रिहाई।

❖ **BNSS, 2023** का अध्याय 35, जो **CrPC 1973** का स्थान लेता है, जमानत प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

❖ **बॉण्ड:** इसमें अभियुक्त द्वारा मुकदमे में उपस्थित होने तथा शर्तों का पालन करने का लिखित वादा शामिल होता है, जिसमें आमतौर पर नकद राशि जमा होती है।

❖ यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा राशि ज़ब्त की जा सकती है, लेकिन ट्रायल के अंत में उसे वापस कर दिया जाएगा।

❖ यदि अभियुक्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे व्यक्तिगत जमानत (PR) बॉण्ड पर रिहा किया जा सकता है और भुगतान की व्यवस्था करने के लिये समय दिया जा सकता है।

❖ **जमानत बॉण्ड:** तीसरा पक्ष (परिवार, मित्र, या नियोक्ता) अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों के अनुपालन की गारंटी देता है।

❖ यदि अभियुक्त फरार हो जाता है तो जमा राशि ज़ब्त कर ली जाती है; न्यायालय जमानतदार के दस्तावेज़, वित्त और निवास का सत्यापन करता है।

भारत में जमानत के प्रकार

■ **नियमित जमानत:** पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश।

■ **अंतरिम जमानत:** अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है।

■ **अग्रिम जमानत:** गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

■ **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है।

■ **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर।

जमानत (बेल) संबंधी सुधारों से जुड़ी चुनौतियाँ	संबंधित उपाय
नकद और प्रतिभू-आधारित जमानत से गरीब और हाशिये पर स्थित समूह असमान रूप से प्रभावित होते हैं।	जमानत में असमर्थ लोगों को धन उपलब्ध कराने के लिये गरीब कैदियों को सहायता (2023) जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिये।
अनावश्यक प्री-ट्रायल से निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।	जमानतदारों, प्रतिभू और विचाराधीन कैदियों का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये ।
न्यायालय दिशानिर्देशों का पालन करने या इसे अस्वीकार करने के कारणों का पता लगाने में विफल रहते हैं, जिसके कारण मनमानी होती है।	जमानत प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये एवं विचाराधीन कैदियों की सहायता के लिये विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ पैरा-लीगल स्वयंसेवकों और वकीलों की सहायता ली जानी चाहिये।
लंबित मामलों और न्यायालयों पर अत्यधिक दबाव के कारण मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है; भारत के कारावासों में बंद कैदियों में से लगभग 70% कैदी विचाराधीन हैं।	कारावासों में भीड़ कम करने और अपराधीकरण की बारंबारता को रोकने के क्रम में रिपोर्टिंग या निगरानी तंत्र को बढ़ावा देना चाहिये।

बढ़ते समुद्री जल स्तर के संकेतक के रूप में प्रवाल भित्तियाँ

मालदीव में कोरल (प्रवाल) माइक्रोएटॉल्स पर किये गए अध्ययन से पता चला है कि **हिंद महासागर के मध्य में जल स्तर में वृद्धि निर्धारित समय से पूर्व और तीव्र हुई**, जिससे पूर्व की अवधारणाओं को चुनौती मिलने के साथ **जलवायु विज्ञान एवं तटीय नीति** पर प्रभाव पड़ा।

❖ निम्न ज्वार स्तर पर **कोरल माइक्रोएटॉल्स** के अवरुद्ध होने से यह समुद्र के जल स्तर में होने वाले परिवर्तनों के प्राकृतिक संकेतक बन जाते हैं।

❖ कुछ कोरल माइक्रोएटॉल्स के दशकों/सदियों तक बने रहने से इनसे दीर्घकालिक डेटा मिलता है।

❖ 50 वर्षों में **मालदीव, लक्षद्वीप और चागोस** में 30-40 से.मी. की वृद्धि देखी गई।

❖ पर्यावरणीय कारक- **अल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव** से प्रवाल वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है जिससे यह समुद्र के जल स्तर की निगरानी में सहायक है।

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि (SLR)

कारण:

- वर्ष 2005-13 के बीच, पिघलते ग्लेशियरों का SLR में तापीय विस्तार की तुलना में लगभग दोगुना योगदान रहा; ग्रीनलैंड के हिमावरण की हानि में सात गुना वृद्धि हुई।
- भू-जल और भूमि जल स्रोतों में परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है; वर्ष 1880 से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 21-24 से.मी. बढ़ चुका है।

हिंद महासागर में SLR 3.3 मि.मी. प्रतिवर्ष है, जो वैश्विक औसत (3.2 मि.मी.) से अधिक है।

द्वीपीय देशों पर प्रभाव:

- तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने, स्वच्छ जल के लवणीकरण और पर्यावास हानि के साथ मालदीव और तुवालु के समक्ष अस्तित्व का खतरा बना हुआ है।
- जल के लवणीकरण/प्रवाल निम्नीकरण से कृषि एवं मत्स्यन को हानि होती है; किरिबाती और मार्शल द्वीप के समक्ष जल की गंभीर कमी की स्थिति बनी हुई है।
- तीव्र चक्रवातों और बाढ़ों से बुनियादी ढाँचे एवं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है; हरिकेन डोरियन से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई।
- तटीय कटाव एवं प्रवाल निम्नीकरण से पर्यटन में कमी आती है; बारबाडोस में पर्यटन में गिरावट का खतरा बना हुआ है।
- अधिक तापमान के कारण वेक्टर जनित रोगों का प्रसार होता है; जबरन पलायन के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण होता है।

विक्रम 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर और सेमिकॉन इंडिया 2025

सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को भारत में निर्मित 'विक्रम' 32-बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर भेंट किया गया, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।

विक्रम 3201

- इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (चंडीगढ़) और कल्पना 3201 (ओपन-सोर्स टूल्स हेतु डिजाइन किया गया 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर) द्वारा विकसित।
- 16-बिट VIKRAM1601 का उन्नत संस्करण, जिसका उपयोग वर्ष 2009 से इसरो प्रक्षेपण यान एवियोनिक्स में किया जा रहा है।
- इसे अंतरिक्ष उड़ान हेतु डिजाइन किया गया है, यह -55°C से 125°C तक के तापमान को सहन कर सकता है।
- अंतरिक्ष में प्रारंभिक सत्यापन SpaDeX मिशन (PSLV-C60) से प्राप्त किया गया, जिससे इसकी विश्वसनीयता सिद्ध हुई।
- इसमें फ्लोटिंग-पॉइंट कंप्यूटेशन जैसे Ada प्रोग्रामिंग और हैंडल टास्क के लिये कस्टम निर्देश हैं।



सेमीकॉन इंडिया 2025

- विषय: "बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पॉवरहाउस"
- ISM के माध्यम से कार्यान्वित, यह चिप डिज़ाइन, पैकेजिंग और विनिर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
- यह वैश्विक सहयोग, अनुसंधान वाणिज्यीकरण को सुगम बनाने के साथ सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला (Value Chain) में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

CEREBO

- ICMR ने ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (TBIs) का शीघ्र पता लगाने के लिये एक इंडिजेनस हैंड-हेल्ड डायग्नोस्टिक टूल (CEREBO) विकसित किया है।
- इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग तथा एडिमा का पता लगाने के क्रम में इसमें नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है।

⌘ तीव्र (एक मिनट के अंदर), नॉन-इनवेसिव और विकिरण-मुक्त होने के कारण यह शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं के लिये सुरक्षित है।

⌘ पोर्टेबल एवं किफायती: यह ग्रामीण क्षेत्र के क्लीनिकों, एम्बुलेंसों एवं ट्रॉमा सेंटर्स के लिये आदर्श है।

⌘ यद्यपि यह सी.टी. स्कैन का पूरक है लेकिन यह गहन ऊतक परीक्षण के संदर्भ में इसका विकल्प नहीं है।

भारत में प्रमुख क्षेत्रों का डीकार्बोनाइज़ेशन

सेक्टर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) और IMF द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक 50% से अधिक CO₂ उत्सर्जन के लिये उत्तरदायी क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने के क्रम में 467 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

डीकार्बोनाइज़िंग क्षेत्र

क्षेत्र	डीकार्बोनाइज़ेशन संबंधी उपाय
इस्पात	कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS), ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना, ऊर्जा दक्षता
सीमेंट	CCS, वैकल्पिक ईंधन, क्लिंकर सस्टिटेयूशन
ऊर्जा (बिजली)	नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, ग्रिड आधुनिकीकरण
सड़क परिवहन	EVs, जैव ईंधन, चार्जिंग अवसंरचना

इस्पात, सीमेंट और विद्युत क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने से वर्ष 2030 तक लगभग 6.9 बिलियन टन CO₂ उत्सर्जन की कटौती हो सकती है।

भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्य और प्रगति

⌘ COP26 (2021) में भारत ने अपनी पंचामृत जलवायु कार्ययोजना प्रस्तुत की:

- ❖ वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट की विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना; वर्ष 2024 में ~ 50% लक्ष्य प्राप्ति।
- ❖ वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
- ❖ वर्ष 2030 तक CO₂ उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना।
- ❖ वर्ष 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कटौती करना; वर्ष 2020 तक 36% कटौती।
- ❖ वर्ष 2070 तक नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना।

ब्रेन-ईटिंग अमीबा

केरल में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के कई मामले सामने आए हैं, जो “ब्रेन-ईटिंग अमीबा” के कारण होने वाला संक्रमण है।

⌘ PAM एक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण है, जो [नेगलेरिया फाउलेरी \(Naegleria fowleri\)](#) अमीबा से होता है।

⌘ यह नासिका मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है, आमतौर पर दूषित जल में तैरने के दौरान, और मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है।

- ❖ यह न तो पेयजल से फैलता है और न ही व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलता है।

⌘ प्रारंभिक लक्षण – बुखार, जो आगे चलकर गर्दन अकड़ना, भ्रम, दौरै (seizures), कोमा आदि में बदल जाते हैं।

- ❖ मृत्यु दर 95% से अधिक है, और सामान्यतः संक्रमण के 1-5 दिनों के भीतर मृत्यु हो सकती है।

⌘ कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है; इसे Amphotericin B, Azithromycin, Fluconazole आदि जैसी दवाओं से नियंत्रित किया जाता है।

What is the “brain-eating amoeba”?

